



123

क्रमांक २६२ / २०१७/ शहडोल / ५२८०

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० स्टंकिंट कॉर्ट श्रीका अदायप्रदेश



रामप्रताप कुशवाहा पिता श्री गंगा प्रसाद कुशवाहा आयु—५६ साल निवासी ग्राम खामडाऊ
तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म०प्र०

आवेदक

बनाम

मनगिरिया ब्राह्मण पिता गंगा प्रसाद ब्राह्मण निवासी ग्राम नौदिया हाल निवास खामा
तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म०प्र०

अनावेदक

आजमि. ६-२-१९ को
भरिग्रे रजिस्टरेक्टर से
प्राप्त। (W) ६-२-१९

पुनरीक्षण विरुद्ध श्री मान आयुक्त कमीशनर महोदय

शहडोल संभाग शहडोल जिला शहडोल म०प्र०

जरिये राठ प्र०क्र०-७३ अप्र० 2017-18 आदेश दि०

3/12/2018 पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50

म०प्र० भू० राजस्व सहिता 1859

मान्यवर,

उक्त उन्मान प्रकरण मे आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन पत्र का आधार
निम्नांकित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का राजस्व प्रकरण कामक 73 अप्र० 2017-18
पारित आदेश दिनांक विधि संगत न होने से यथाबत रखे जाने योग्य नहीं है।

रामप्रताप कुशवाहा

K6

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-0262/2019/शहडोल/भू.रा.

रामप्रताप कुशवाह विरुद्ध मनगिरिया ग्राहन्ण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19 शेखावती	<p>प्रकरण पेश। आवेदक अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/12/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/18 से प्रभावशील हो चुका है। जिसके फलस्वरूप निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। अतः यह प्रकरण सुनवाई का अधिकार न होने से अग्राह्य किया जाता है।</p> <p>(मेरावन्दु धीरी)</p> <p>सदस्य</p> 	